भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड
Directorate of Census Operations, Uttarakhand
274,फेज 1 बसंत विहार, देहरादून –248006
274,Phase I Basant Vihar, Deharadun- 248006
ए.एच.एस.अनुभाग/AHS Section
फोन / फैक्स न0 (0135) 2760068,2760085

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2011

11022 / 8 / 10–11 / ए.एच.एस. दिनांक : 2८ JAN 2015

....
....
....
....

निविदा आमंत्रण

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्प्रयोज्य अभिलेखों लगभग 600 कुन्तल का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें

निविदा दर के साथ आहरण व वितरण अधिकारी जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड के नामे कुल रूपये 50,000 / –(पचास हज़ार रूपये मात्र) की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने की तीथि से कम से कम तीन माह की वैधता का होना चाहिए। न्यूनतम दर वाली निविदाओं को रद्द मानते हुये, उनके द्वारा प्रेशित धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट एक सप्ताह के भीतर वापस कर दिया जायेगा। जिसका कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1. अभिलेखों को कार्य आदेश प्राप्ति के तीन दिन के भीतर देहरादून स्थित तीन स्थानों से क्रमशः (i) जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड 274 फेस–1 वसंत विहार, देहरादून, (ii) 126–सी डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून, व (iii) केयर आफ श्रीमती मधुर पाण्डेय पत्नी श्री हरवंश पाण्डेय 14–सी, इंजीनियर्स एनक्लेव कालोनी, भागीरथीपुरम्, जाखन–248001, देहरादून से उठाकर धर्मकाँटे पर तौलना होगा। जिसका खर्च इच्छुक फर्म को स्वयं वहन करना होगा। यदि अभिलेखों को कार्य आदेश प्राप्ति के तीन दिन के भीतर उपरोक्त स्थानों से नहीं उठवाया गया तो, धरोहर धनराशि को निदेशालय द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
2. अभिलेखों को उठाने से एक दिन पूर्व, अनुमानित भार एवं कोटेशन में दी गई दर अनुसार कुल मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट, **आहरण व वितरण अधिकारी** जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड के नामे निदेशालय में जमा कराना होगा।
3. अभिलेखों को तौलने के पश्चात् शुद्ध भारानुसार शेष धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, अभिलेखों को उठाने के एक दिन के भीतर जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड में जमा कराना होगा।
4. निदेशालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे खाली ट्रक का भार व अभिलेखों को उठाने के उपरान्त ट्रक का भार अलग–अलग धर्मकँाटो पर तौलना होगा।
5. अभिलेखों को पल्पिंग (लुग्दी) कराने हेतु, कारखाने का नाम व पल्पिंग (लुग्दी) हेतु अवष्यक अनुमानित दिनो की सूचना निदेशालय को पूर्व में देनी होगी।
6. समस्त अभिलेख निदेशालय द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति मे पल्पिंग (लुग्दी) कराकर प्रमाण पत्र निदेशालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना होगा। जिसके पश्चात् धरोहर धनराशि को मुक्त (वापस) कर दिया जायेगा।
7. किसी भी निविदा को पूर्णतः व अंशतः रद्द करने का अधिकार संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय या उनके द्वारा नामित अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

सुविधा सम्पन्न एवं इच्छुक फर्म, बंद लिफाफे में, जिस पर "ए.एच.एस. रद्दी एवं कोटेशन" लिखा हो, अपनी उचित दर इस निदेशालय को दिनांक 09 फरवरी, 2015 सांय 5:00 बजे तक जमा करा सकते है।, जो दिनांक 10 फरवरी, 2015 को अपराह्न 3:00 बजे, इच्छुक फर्मो के सामने खोली जायेंगी।

अभिलेखों को किसी भी कार्य दिवस में निदेशालय में देखा जा सकता है।

भवदीय,
28/1/2015
(एस.एस.ए.जाफरी)
संयुक्त निदेशक (नियंत्रण अधिकारी)